संख्या-59/2023/3326/22-2-2022-17(1442)/2022

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 23 फरवरी, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी जफर पुत्र श्री बुद्धन, निवासी जनपद-अलीगढ़ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-30519/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-29.08.2022) दिनांक-27.09.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी जफर पुत्र श्री बुद्धन, रोरावर शाह जमाल, थाना-देहली गेट, जिला-अलीगढ़ का निवासी है। दिनांक 15-12-1998 को बंदी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर गर्दन में लाल छीटदार कपड़ा बांधकर गला दबाकर श्रीमती रूकसाना नामक महिला की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण संख्या-1470/1999, धारा-302/34 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (न्या0 सं0-3), अलीगढ़ के आदेश दिनांक 26-05-2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05-06-2022 तक 14 वर्ष 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष 11 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित घटना समाज को व्यापक रूप मे प्रभावित करने, बंदी भविष्य में भी पूर्व में हुए विवाद के कारण पुनः अपराध कारित किये जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेश बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 15-12-1998 को बंदी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर गर्दन में लाल छीटदार कपड़ा बांधकर गला दबाकर श्रीमती रूकसाना नामक महिला की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में पुनः अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी जफर पुत्र श्री बुद्धन को फार्म/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी जफर (बंदी संख्या-15831) पुत्र श्री बुद्धन, निवासी जनपद-अलीगढ़ के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-59/2023/3326(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.02.2022 तथा संशोधित आदेश दिनांक 23.02.2022 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-59/2023/3326/22-2-2022-17(1442)/2022

दिनांक 23 फरवरी, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी जफर पुत्र श्री बुद्धन, रोरावर शाह जमाल, थाना-देहली गेट, जिला-अलीगढ़ का निवासी है। दिनांक 15-12-1998 को बंदी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर गर्दन में लाल छीटदार कपड़ा बांधकर गला दबाकर श्रीमती रूकसाना नामक महिला की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण संख्या-1470/1999, धारा-302/34 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (न्या0 सं0-3), अलीगढ़ के आदेश दिनांक 26-05-2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05-06-2022 तक 14 वर्ष 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष 11 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित घटना समाज को व्यापक रूप मे प्रभावित करने, बंदी भविष्य में भी पूर्व में हुए विवाद के कारण पुनः अपराध कारित किये जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेश बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 15-12-1998 को बंदी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर गर्दन में लाल छीटदार कपड़ा बांधकर गला दबाकर श्रीमती रूकसाना नामक महिला की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में पुनः अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी जफर पुत्र श्री बुद्धन को फार्म/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।